न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 30 / 2025

श्री रामकिशोर पुत्र गेन्दी लाल निवासी गोविन्दपुरा (सिंदडा) तह. निवाई जिला टोंक

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 15.05.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 06.02.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

1 पटवार मंडल सिंदडा तहसील निवाई के चरागाह एवं सिवाइचक भूमि पर पटवार मंडल सिंदडा के संपूर्ण अतिकर्मियों से पेनल्टी राशि पटवारी प्रभु लाल द्वारा वसूली की गई रसीदों एवं केश बुक की वर्ष 2023 से जनवरी 2025 तक प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध कराने की कृपा करें।

2 दिनांक 30.05.2023 व 25.10.2024 तथा 2.08.2024 को हल्का पटवारी श्री प्रभु लाल द्वारा ग्राम गोविंदपुरा में मौका पर्चा पर मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाए उन मौतबिरान का पूर्ण नाम पता मय मोबाइल नंबर एवं दिनांक 1.08.2024 को कजोड़ के परिवाद की जांच करने गोविंदपुरा मौके पर हल्का पटवारी श्री प्रभु लाल गया था जिसकी जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने की कृपा करें।

3 दिनांक 24.7.2024 व 2.08.2024 को मेरे द्वारा श्रीमान डीएम साहब को प्रार्थना पत्र (परिवाद) दिया था। श्रीमान ने उक्त प्रार्थना पत्र को श्रीमान के कार्यालय क्रमांक 6321 द्वारा एसडीम साहब निवाई को भिजवाया था श्रीमान ने उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्देश फरमाया था कार्रवाई करने हेतु एसडीएम साहब निवाई ने तहसीलदार साहब को भिजवाया था दोनों प्रार्थना पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की कृपा करें यह सूचना पूर्व में अपूर्ण प्राप्त होने पर पुनः निवेदन किया गया है ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक को पत्र क्रमांक 486 दिनांक 03.04.2025, 536 दिंनाक 15.04.2025 व 681 दिनांक 30.04.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

658

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)